कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक -16.06.2017

सेवा में,

वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।

विषय:— जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड़ कीर्तिनगर में नाण्ड़ी—सैलसैण—मठूरगांव मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।(FP/UK/ROAD/11204/2015)

प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा दी गयी बिन्दुओं पर सूचना माँगी गई थी। परन्तु आपके स्तर से उन इन बिन्दुओं के स्थान पर कुछ और ही सूचना आनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इस समबन्ध में सूचित करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट ।। में सही सूचना अपलोड़ करे बिना ही प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है। जिसके क्रम में उक्त प्रकरण को इस कार्यालय द्वारा सूचना पूर्ण रूप से दिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार बार वापस लोटाया जा चुका है। परन्तु फिर भी न तो प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी एवं आपके द्वारा इस और ध्यान न देकर मात्र एक औपचारिक्ता निभाते हुए सूचना इस कार्यालय का अग्रेसारित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, कि भारत सरकार द्वरा ऐसे प्रकरणों की सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रकरणों को वापस लौटाया जा रहा है।

अतः भविष्य में यह सुनिचित किया जाए की भारत सरकार/इस कार्यालय द्वारा वान्छित बिन्दुओं की पूर्ण बिन्दुवार सूचना उपरोक्त उलिखित के अनुसार ही इस कार्यालय अग्रसारित करने का कष्ट करे। भारत सरकार द्वारा वान्छित सूचना पुनः संलग्न की जा रही है।

SR.No	EDS	REPLY
1	The proposed road is passing through to boundary of to villages as per villages wise break up in Part-I but VLC proceeding provided only for one village with the FRA certificate. The village level committee proceeding for village sailsain may also provide.	उक्त आपित्त के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा FRA की details part I के K में अपलोडेड नही है। भारत सरकार द्वारा वांछित पूर्ण विवरण की सूचना स्पष्ट रूप से यथास्थान अपलोड़ की जाये।
2	In the District profile in online Part-2, the Details provided for the same district in another proposal are differing from the details uploaded in online Part II of this proposal .The State Govt. may review and provide correct details along with reason and future targets because the total area dicerted is not matching with the CA stipulated.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा बताई गयी सूचना भारत सरकार से चाही गई सूचना के अनुरूप नहीं है।
3	The State Govt. may also provide hard copy of the revised documents in original.	प्रस्ताव के Part I, II,III,की authenticated original hard copy तीन मूल प्रतियो के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। तािक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यावाही हेतु भारत सरकार भेजा जा सके।